प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,** जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016–17/16/5855-3 दिनांकः 28-9-16

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की दिनांक 23/09/2016 को आहूत वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की दिनांक 23/09/2016 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर शासन को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक कार्यालय को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016–17/16/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त महाप्रबंधक, वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
महाप्रबन्धक (एम0एण्ड ई0)

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,** जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016–17/16/ दिनांकः 28-9-16

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की दिनांक 23/09/2016 को आहूत वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की दिनांक 23/09/2016 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर शासन को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक कार्यालय को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016–17/16/5855-37 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त महाप्रबंधक, वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
महाप्रबन्धक (एम0एण्ड ई0)

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनॉक 23 सितम्बर 2016 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 23 सितम्बर 2016 को प्रदेश के समस्त मण्डलों के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में दोनों महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग प्रारम्भ की गई। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा ओ0पी0डी0 की संख्या में वृद्धि करने पर सभी को बधाई दी साथ ही निर्देश दिये कि आम जनमानस को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायें।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में चर्चा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश–

मातृ स्वास्थ्य–

1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 10 न्यूनतम उपलब्धि वाले जनपदों यथा– चन्दौली, भदोही, वाराणसी, मऊ, मिर्जापुर, बलिया, हमीरपुर, बाराबंकी, बांदा एवं रामपुर को चेतावनी देते हुये समस्त जनपदों को संस्थागत प्रसव की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिये गये।

   (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

2. जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले समस्त लाभ/सुविधायें ससमय समस्त लाभार्थियों को प्रदान करना सुनिश्चित किया जाये।

   (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

3. मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खाते में धनराशि तुरन्त स्थानांतरित करने के निर्देश दिये गये।

   (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

4. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त लेबर रुम व्यवस्थित कर लें एवं सुविधाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। नर्स मेण्टर का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें।

   (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय में आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

   (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

6. प्रमुख सचिव महोदय ने मण्डलीय अपर निदेशक, मुरादाबाद को निर्देशित किया गया कि जनपद– मुरादाबाद में दो गायन्कोलॉजिस्ट होने के बाद भी सी–सेक्शन नहीं हो रहे है इसकी जांच करें, दोनो चिकित्सको का मेडिकल करवाये तथा आवश्यक कार्यवाही करें।

   (कार्यवाही– मण्डलीय अपर निदेशक, मुरादाबाद)

7. निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद नान एफ0आर0यू0 में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को एफ0आर0यू0 पर तैनात/सम्बद्ध कर कियाशीलता बढ़ाना सुनिश्चित करें।

   (कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक)

बाल स्वास्थ्य–

8. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद– फैजाबाद, सिद्धार्थ नगर, गाजीपुर, कुशीनगर, जालौन एवं जौनपुर में पोषण पुर्नवास केन्द्र को कियाशील किया जाना सुनिश्चित करें।

   (कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

9. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद– हमीरपुर, बांदा एवं चित्रकूट में एन0आर0सी0 से संबंधित मानव संसाधन के मानदेय का भुगतान एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

10. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि एन0आर0सी0 के अन्तर्गत बेड आक्यूपेन्सी रेट में वृद्धि करने के प्रयास किये जायें, इसके लिये समुचित आई0ई0सी0 का भी प्रयोग सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/ समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

11. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि पोषण पुर्नवास केन्द्र के अन्तर्गत भर्ती होने वाले समस्त कुपोषित शिशुओं को चिकित्सा एवं अन्य सुविधायें प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें तथा क्योर रेट में वृद्धि की जानी सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

12. एन0आर0सी0 ऑपरेशनल कॉस्ट में शून्य व्यय करने वाले जनपदों को चेतावनी देते हुये समस्त जनपदों को इस मद में व्यय करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

13. एस0एन0सी0यू0 कियाशीलता के विषय में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद– अम्बेडकर नगर, रामपुर, बिजनौर, हाथरस, अमरोहा, बदांयु, मऊ, इलाहाबाद, झांसी एवं बाराबंकी में शीघ्रातिशीघ्र एस0एन0सी0यू0 को कियाशील किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

14. एस0एन0सी0यू0 ऑपरेशनल कॉस्ट में शून्य व्यय करने वाले जनपदों को चेतावनी देते हुये समस्त जनपदों को इस मद में व्यय करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

15. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि कंगारु मदर केयर गतिविधि हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/ समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

परिवार नियोजन–

16. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि पुरुष नसबन्दी दिवस माह की 21 तारीख को किसी कारणवश आयोजित नहीं किया जा सका है तो उसी माह की किसी अन्य तिथि को पुरुष नसबन्दी दिवस आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

17. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माह सितम्बर से परिवार नियोजन कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट महानिदेशालय, परिवार कल्याण द्वारा दिनांक 19.09.2016 को प्रेषित संशोधित प्रारुप पर राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

18. परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रेषित किये जाने वाले क्लेम फार्म दिशा–निर्देशों के अनुरूप भरकर प्रेषित किये जायें तथा निदेशालय द्वारा संशोधन हेतु वापस किये गये फार्म शीघ्रातिशीघ्र राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

19. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि महानिदेशालय को प्रेषित की जाने वाली मासिक रिपोर्ट एवं एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली रिपोर्ट में भिन्नता नहीं होनी चाहिये तथा एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर समीक्षा की जानी सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

20. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि फिक्स डे सर्विसेज कैम्प का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें तथा कैम्प में दी जाने वाली समस्त सुविधायें उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

21. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि हौसला साझेदारी के अन्तर्गत लम्बित वित्तीय एवं भौतिक प्रकरणों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना सुनिश्चित करें। मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, लखनऊ जनपद– लखीमपुर खीरी का भ्रमण कर समस्या समाधान करना सुनिश्चितं करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/ मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, लखनऊ)

22. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला क्वारिटी एश्योरेन्स कमेटी की नियमित बैठकें आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

<u>कम्युनिटी प्रोसेस–</u>

23. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपदों में विभिन्न स्तरो पर उपलब्ध अनटाईड फण्ड का व्यय सुनिश्चित करें। रोगी कल्याण समिति की बैठकें नियमित रूप से करते हुये चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/ समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

24. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं के खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

25. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र कियाशील नहीं है उनको शीघ्रातिशीघ्र कियाशील किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

26. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि रोगी सहायता केन्द्रों को "हैल्प डेस्क" की भांति प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

27. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वी0एच0एस0एन0सी0 की धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जाये तथा कार्ययोजना के अनुसार वी0एच0एन0डी0 का आयोजन भी सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

<u>राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम–</u>

28. अवगत कराया गया कि पीयर एजुकेटर का चयन के संबंध में फैजाबाद एवं सीतापुर से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जबकि श्रावस्ती में 450 के सापेक्ष 100 तथा कौशाम्बी में 940 के सापेक्ष 507 पीयर एजुकेटर का चयन किया गया है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि पीयर एजुकेटर का शत प्रतिशत चयन करते हुये राज्य स्तर को सूचना प्रेषित करें।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

29. अवगत कराया गया कि जनपद कासगंज, कौशाम्बी, बदायूं, महाराजगंज एवं शाहजहांपुर में जनपद स्तर पर ए.एफ.एच.एस.सी. क्लीनिक स्थापित नहीं की गयी है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपद ए.एफ.एच.एस.सी. क्लीनिक स्थापित एवं कियाशील करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

30. मिशन निदेशक द्वारा विफ्स की मासिक रिपोर्ट ससमय राज्य स्तर पर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम–

31. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मोबाइल हेल्थ टीम के लिए वाहन की व्यवस्था टेण्डर प्रक्रिया से नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

32. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में मोबाइल हेल्थ टीम के लिए लैपटॉप एवं उपकरण नहीं खरीदे गये हैं वहॉ पर अतिशीघ्र व्यवस्था कर ली जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

क्वालिटी एश्योरेन्स–

33. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि क्वालिटी एश्योरेन्स के तहत प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार चिकित्सालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

34. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का व्यय ससमय सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

35. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्रदेश के 74 जनपदों (जनपद–लखनऊ को छोड़ कर) तथा Mechanized Cleaning हेतु प्रदेश के 110 जिला स्तरीय चिकित्सालयों (UPHSSP द्वारा 50 जिला स्तरीय चिकित्सालय को छोड़ कर) के लिए राज्य स्तर से टेन्डर प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। टेन्डर प्रक्रिया पूर्ण होने तक जनपदों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट तथा क्लीनिंग, वांशिग, हाऊसकीपिंग एवं लाण्ड्री के कार्य पूर्व दिशा–निर्देशों के अनुसार पूर्व की भॉति किये जायेगें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

36. यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा एन0ए0बी0एच0 के तहत 50 जिला स्तरीय चिकित्सालयों के संबंध में निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट, क्लीनिंग, गार्डनिंग इत्यादि से संबंधित सेवा प्रदाता के बिलों का भुगतान ससमय किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

37. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मण्डलीय अपर निदेशक यह सुनिश्चित करें कि मानव संसाधन का समुचित उपयोग किया जा रहा है एवं 50 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में नर्सिंग स्टेशन बनया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि नर्सिंग के कार्यों में गुणवत्ता लायी जा सके।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

वित्त–

38. वित्तीय समीक्षा के कम में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपदों में कमिटेड के सापेक्ष रक्षित करायी गई धनराशि का व्यय 30 सितम्बर 2016 तक करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य स्तर से प्राप्त धनराशि का दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

स्वास्थ्य इकाईयों की कियाशीलता–

39. प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को निर्देशित किया गया कि ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 एवं बेड आक्यूपेन्सी रेट में सुधार करते हुये ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 की संख्या में वृद्धि की जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

40. प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को निर्देशित किया गया कि चिकित्सालयों में सर्जरी की संख्या में वृद्धि की जाये तथा जिन सर्जन द्वारा सर्जरी नहीं की जा रही है या कम की जा रही है उन पर कार्यवाही हेतु शासन को पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

राष्ट्रीय कार्यकम–

41. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश में इस समय डेगूं एवं चिकनगुनियां का प्रकोप है। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका आपसी समन्वय के माध्यम से एक–दूसरे का सहयोग करते हुये चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को समुचित देखभाल एवं उपचार हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

42. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जनपद में डेगूं हैल्प डेस्क गठित करते हुये डेगूं से प्रभावित मरीजों की अद्यतन स्थिति से प्रतिदिन राज्य कार्यकम अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें एवं यदि डेगूं या चिकनगुनियां से कोई मृत्यु होती है तो उसकी सूचना तुरन्त राज्य स्तर पर प्रेषित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

43. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जनपद में मलेरिया, फाइलेरिया एवं कालाजार के संबंध में आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 गतिविधियां आयोजित की जाये, जिससे आम जनमानस में रोगों के प्रति जागरुगता का संचार हो सके।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

44. ए0ई0एस0/जे0ई0 के संबंध में निर्देशित किया गया कि जनपद– गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ एवं बलिया में रोगियों के उपचार की स्थिति में सुधार किया जाये तथा समस्त जनपदों के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में संबंधित रोगी को समस्त सुविधायें एवं उपचार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

45. अवगत कराया गया कि ए0ई0एस0/जे0ई0 के टीकाकरण का प्रतिशत जनपद– प्रतापगढ़, गाजीपुर, कानपुर देहात, पीलीभीत एवं अम्बेडकर नगर में बहुत ही कम है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जे0ई0 टीकाकरण शत प्रतिशत करते हुये टीकाकरण का अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

46. एन0पी0सी0डी0सी0एस0 के अन्तर्गत निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने कार्यालय में जिला एन0सी0डी0 सेल हेतु एक कक्ष एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक हेतु कक्ष तत्काल उपलब्ध करायें तथा राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरुप मानव संसाधन की भर्ती सुनिश्चित करें। जनपद– इटावा, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, झांसी एवं ललितपुर में सी0सी0यू0 की कियाशीलता हेतु गैप्स एनालिसिस राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

47. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि दिनांक 29.09.2016 को World Heart Day के उपलक्ष्य पर समस्त जनपदों द्वारा Hypertention, Diabieties एवं BMI की स्कीनिंग जिला एन0सी0डी0 क्लीनिंक सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिंक एवं सम्पूर्णा क्लीनिंक में कैम्प का आयोजन कर किया जाये तथा आवश्यकतानुसार स्वयं सेवा संगठनों तथा आई0एम0ए0 का सहयोग लेते हुये चिकित्सालय के बाहर भी कैम्प का आयोजन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

48. एन0पी0एच0सी0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दिशा–निर्देश राज्य स्तर से संबंधित जनपदों को प्रेषित किये जा चुके है जिन पर अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

49. अवगत कराया गया कि जनपद– सुल्तानपुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी को अनेक अनुस्मारकों एवं पत्रों के द्वारा निर्देशित करने के बावजूद जनपद में जीरियाटिक वार्ड की स्थापना के संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया। जिस पर मिशन निदेशक द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

50. आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्देशित किया गया कि रिपोर्टिंग हेतु उपलब्ध ऑन लाइन पोर्टल की समीक्षा की जाये। साथ ही साथ 50 प्रतिशत से कम रिपोर्टिंग वाले जनपदों के आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वेतन वृद्धि न की जाये।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

51. पल्स पोलियो राउण्ड के संबंध मे निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में आशा, आंगनबाड़ी की हड़ताल अभी तक समाप्त नहीं हुई है उसका स्थानीय स्तर पर समाधान करने का प्रयास किया जाये तथा पल्स पोलियो राउण्ड को सफलतापूर्वक संचालित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

52. राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में मानव संसाधन की नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं की गई वह शीघ्रातिशीघ्र मानव संसाधन की नियुक्ति पूर्ण कर लें।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

53. राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित जनपद के जिला चिकित्सालय में ऑडियोमैट्री हेतु सांउड प्रूफ कमरा, जिला अस्पताल हेतु इडीजीनस डिजीटल प्योर टोन ऑडियोमीटर का प्रोक्योरमेंट एवं सी0एच0सी0–पी0एच0सी0 किट का प्रोक्योरमेण्ट करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

<u>राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन–</u>

54. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि अरबन आशा का चयन पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें तथा चयनित अरबन आशा का प्रशिक्षण शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

55. एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रिपोर्ट अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओ0पी0डी0 की संख्या में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

<u>ड्रग प्रोक्योरमेण्ट एण्ड इनवेन्ट्री कण्ट्रोल सिस्टम–</u>

56. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जनपदों में संबंधित पोर्टल का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

57. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमित वेरिफिकेशन करते हुये संस्था/एजेन्सी/वेन्डर का ससमय भुगतान सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

<u>अन्य बिन्दु–</u>

58. 102 एम्बुलेन्स सेवा के संबंध में निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी 20 प्रतिशत लाभार्थियों का वेरिफिक्रेशन करना सुनिश्चित करें तथा इसकी रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

59. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपदों में आवंटित शव वाहन हेतु नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका होगे। समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की जिम्मेदारी होगी कि वह जनपद में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्थाओं/निजी सेवा प्रदाता द्वारा संचालित किये जा रहे शव वाहनों की सूचना रखे तथा आकस्मिकता की स्थिति में इनका प्रयोग सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

60. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों से व्यय की गई धनराशि की रिपोर्ट ससमय प्राप्त नहीं हो रही है जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक व्यय की सूचना महानिदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

61. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा ओ0पी0डी0 किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

62. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि मनव सम्पदा के विषय मे सूचना शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित कर दें। चिकित्सालयों में साईकिल पार्किंग निःशुल्क करने एवं अन्य पार्किंग No Profit No Loss के आधार पर करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

63. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपदों में हो रहे निर्माण कार्यो का अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुये शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)

64. प्री–सर्विस एजुकेशन फॉर द नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्देशित किया गया कि जी0एन0एम0 स्कूल में स्किल लैब एवं आई0टी0 लैब स्थापित करने हेतु जनपद– मेरठ, आगरा, कानपुर नगर एवं इलाहाबाद में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

बैठक के उपरांत धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

आलोक कुमार
मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0